

राजस्थान सरकार

उद्यान आयुक्तालय, राजस्थान, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 5(2)नि.उ./रा.यो./नवाचार/2020-21/

3893-3913

दिनांक 09.06.2020

1. उप निदेशक उद्यान, जोधपुर/ जयपुर
2. सहायक निदेशक उद्यान, बांसवाडा/ उदयपुर /  
दौसा/ भरतपुर/झालावाड/ अलवर

विषय- राज्य योजनान्तर्गत नवाचार कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटन एवं दिशा-निर्देश वर्ष 2019-20 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में नवाचार कार्यक्रम में श्रेणीवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटन कर भिजवाये जा रहे हैं। नवाचार कार्यक्रम में सब्जियों की आधुनिक प्लग टेक्नॉलोजी से रोग मुक्त पौध तैयार करने हेतु कोकोपीट के साथ प्रो-ट्रेज पर कृषकों को उपलब्ध करवाये जाने है। समय पर वित्तीय लक्ष्यों का शत-प्रतिशत प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन निम्न प्रकार से है :-

I- कोकोपीट के साथ प्रो-ट्रेज का जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :-

(भौतिक संख्या में, वित्तीय रु. लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय नाम	भौतिक लक्ष्य				वित्तीय लक्ष्य			
		Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total
1	जोधपुर	9	3	0	12	0.405	0.135	0.00	0.540
2	बांसवाडा	9	4	1	14	0.405	0.180	0.045	0.630
3	उदयपुर	9	3	1	13	0.405	0.135	0.045	0.585
4	दौसा	9	3.3	0.7	13	0.409	0.145	0.032	0.586
5	भरतपुर	5	5	1	11	0.225	0.225	0.045	0.495
6	झालावाड	9	4	0	13	0.405	0.180	0.00	0.585
7	अलवर	9	4	1	14	0.405	0.180	0.043	0.628
8	जयपुर	14	6	0	20	.631	0.270	0.00	0.901
योग		73	32.3	4.7	110	3.290	1.450	0.210	4.950

बजट मद

Gen.

S.C.P.

T.S.P.

2401- 119- 00- (33) -91

2401-00- 789- (02)- (11) -91

2401-00- 796- (51)- (10)-91

कोकोपीट के साथ प्रो-ट्रेज पर अनुदान कार्यक्रम के दिशा-निर्देश:-

सब्जियों की आधुनिक प्लग टेक्नॉलोजी से रोग मुक्त पौधे तैयार करने हेतु कोकोपीट के साथ प्रो-ट्रेज कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध करवाये जावेंगे। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 200 प्रो-ट्रेज एवं 200 Kg कोकोपीट की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 4500 प्रति कृषक अनुदान उपलब्ध करवाया जावेगा। अधिकतम सीमा से कम होने की स्थिति में प्रो-रेटा आधार पर अनुदान की गणना की जावेगी। तदनुसार भौतिक लक्ष्य बढ़ जावेंगे। सामग्री स्थानीय KVSS/GSS अथवा अन्य सहकारी संस्था से नियमानुसार कय की जावे।

(वी. सरवन कुमार) IAS

आयुक्त उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 5(2)नि.उ./रा.यो./नवाचार/2020-21/

3893-3913

दिनांक - 09.06.2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु -

1. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक उद्यान, संभाग समस्त
2. मुख्य लेखाधिकारी उद्यान, निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार राज्य योजनान्तर्गत जिलों को श्रेणीवार बजट आवंटन करावे।
3. उप निदेशक उद्यान, (सांख्यिकी), उद्यान निदेशालय, जयपुर।

आयुक्त उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर